"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 265] रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 अक्टूबर 2005—कार्तिक 2, शक 1927

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2005

अधिसूचना

क्रमांक 3552/डी-15/239/2004-05/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 11 सहपठित छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (मण्डी समिति का निर्वाचन) नियम, 1997 के नियम 18 एवं 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में उल्लेखित मंडी समिति के निर्वाचन के लिये कालम (3) में पदाभिहित अधिकारियों में से किसी एक को रिटर्निंग आफिसर तथा कालम (4) में पदाभिहित अधिकारियों में से आवश्यकतानुसार सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करने के लिये, जिला निर्वाचन अधिकारी, को प्राधिकृत करती है तथा यह भी निर्देश देती है कि रिटर्निंग आफिसर तथा सहायक रिटर्निंग आफिसर का अधिकार क्षेत्र, सारणी के कालम (5) अनुसार होगा.

सारणी

अ. क्र.	मंडी समिति	अधिकारी का पदनाम जिसे रिटर्निंग आफिसर पदाभिहित किया गया है	अधिकारी का पदनाम जिसे सहायक रिटर्निंग आफिसर पदाभिहित किया गया है	अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जिले के समस्त मंडी.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) / अपर कलेक्टर/ संयुक्त कलेक्टर/ सहायक कलेक्टर.	तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार.	जिले के समस्त संबंधित मंडी.

Raipur, the 24th October 2005

NOTIFICATION

No. 3552/D-15/239/2004-05/14-3.—In exercise of the powers conferred by Section 11 of Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) read with rules 18 and 19 of Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi (Mandi Samiti Ka Nirvachan) Niyam, 1997, The State Government shall authorize The District Election Officer to appoint any out of the posts mentioned in column 3 of index given below as a Returning Officer and in column 4 of index given below as an Assistant Returning Officer and also direct the Jurisdiction area of Returning Officer and Asstt. Returning Officer shall be as per the column (5) of the index below.

TABLE

Sr. No.	Mandi Samiti	Designation of Officer which are authorized Returning Officer	Designation of Officer which are authorized Assistant Returning Officer	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	All Mandies of District.	Sub Divisional Officer (Revenue)/ Upper Collector/ Joint Collector/ Assistant Collector.	Tehsildar/ Upper Tehsildar/ Nayab Tehsildar.	All Concerned mandies of District.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रताप कृदत्त, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.